फर्द अहकाम

अनिता शर्मा बनाम रामनारायण

य उपखण्ड सांगानेर

104/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
24/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपनी बहस में प्रा०पत्र 07R11 CPC में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रा०पत्र 07R11 CPC को स्वीकार किया जाकर वादी के वाद को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया। वकील अप्रार्थी/वादी ने अपनी बहस में प्रा०पत्र 07R11 CPC में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी/ प्रतिवादी का प्रा०पत्र 07R11 CPC को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया है। पत्रावली व राजस्व रिकार्ड, प्रा०पत्र 07R11 CPC, जवाब प्रा०पत्र 07R11 CPC का अवलोकन किया व वकील उभयपक्षों की बहस का मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि प्रतिवादी सं.1 व 2 रामनारायण का पुत्र था प्रतिवादी सं.2 भगवान सहाय को हीरा ने गोद लिया। इस प्रकार भगवान सहाय हीरा का दत्तक पुत्र होने के कारण रामनारायण की सम्पत्ति में भगवान सहाय को कोई हक हिस्सा नहीं रहा है। लेकिन वाद पत्र में वादी ने गलत रूप से भगवान सहाय को रामनारायण का पुत्र होने एवं रामनारायण की कब्जे काश्त खातेदारी भूमि में भगवान सहाय का हिस्सा 1/5 होने एवं भगवान सहाय के 1/5 हिस्से में से 1/3 होने का उल्लेख कर न्यायालय के समक्ष गलत वाद प्रस्तुत किया कानूनन कोई भी पुत्र अपने पिता के जीवित रहते अर्थात हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा-2 के तहत पिता के जीवित रहते हुए उक्त अधिनियम की धारा-8 के प्रावधानों के दृष्टिगत उक्त वाद पोषणीय नहीं रहता है। रामनारायण को वादी ने अपना पिता दर्शाते हुये विभाजन व घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है जबकि रामनारायण जिसको वादी अपना पिता बतला रहा है एवं भगवान सहाय को अपना पिता बतला रहा है। दोनों व्यक्ति जीवित है जिससे दादा व पिता के जीवित रहते हुए उनके जीवन काल में वादी वाद पत्र के मद नम्बर-1 में वर्णित कृषि भूमि में किसी प्रकार की खातेदारी के संबंध में —लगातार	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

फर्द अहकाम

ऋषिकेश बनाम राजनारायण व अन्य

नाम न्यायालय उप० II सांगानेर

केस संख्या 104/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	टिप्पणी
	26/5/25	किसी प्रकार के कोई अधिकार सृजित नहीं होते है। इस संबंध में भगवान सहाय पुत्र हीरा नाबालिग संरक्षक हीरा के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2067 में अंकित है इसके अतिरिक्त विक्रय पत्र रुग्घा, सूरज, देवबक्स पुत्रान सोम्या व केशा पुत्र गणेश व पन्ना पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राह्मण बागड़ा निवासी अभयपुरा तहसील सांगानेर का विक्रय पत्र दिनांक 26/4/1979 को वादी के पिता प्रतिवादी संख्या-2 भगवान सहाय के पक्ष में निष्पादित किया गया है। इस विक्रय पत्र में भगवान सहाय के पिता का नाम हीरा अंकित है उक्त विक्रयपत्र उप पंजीयक सांगानेर के कार्यालय में निष्पादित हुआ है जिससे यह पूर्णतया प्रमाणित होता है कि भगवान सहाय ही हीरा का पुत्र है। वादी ने तथ्यों को छुपाकर वाद प्रस्तुत किया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 11 का प्रार्थना पत्र 07R11 CPC स्वीकार योग्य है। अतः आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या-11 का प्रार्थना पत्र 07R11 CPC स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर बाबत आराजी क्रमांक 35/995, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 65, 66 कुल किता 10 कुल रकबा 1.18 हे० को खारिज किया जाता है। पत्रावली डिक्री मुताबिक तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (सुनाया गया)	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)